HAMIRPUR POLICE

जनपद हमीरपुर दिनाँक-22.11.2022

प्रभावी पैरवी कर 01 अभियुक्त को 24 वर्ष के कठोर कारावास व 40 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा दिलायी गयी।

जनपद पुलिस द्वारा नामजद अभियुक्त के विरूद्ध माननीय न्यायालय में की गयी सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, दिनाँक 23/05/2014 को थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर में पंजीकृत अ0सं0 154/14 धारा- 363, 366, 376 आईपीसी व 06 पोक्सो एक्ट में नामजद अभियुक्त राजू उर्फ मनोजराज पुत्र बाबूराम शर्मा निवासी ग्राम पंच पिंडा देवी मंदिर के पास कस्बा व थाना कालपी जनपद जालौन को सजा दिलाई गई। इस अपराध में नामित अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन स्तर पर विवेचना में संपूर्ण साक्ष्यों का गहनता से संकलन किया गया, इसी के परिणाम स्वरूप उक्त अभियोग मे आरोपी को दोषी करार देते हुए माननीय न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त को अ0सं0 154/14 धारा-363 आईपीसी में 05 वर्ष के कठोर कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदंड, धारा-366 आईपीसी में 07 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदंड तथा धारा-06 पोक्सो एक्ट में 12 वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी।